

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
------------	-----------------------------------	---------------------------------------

17 03
2021

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन मय नकल जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/03/2021 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

30 03
2021


पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी शीला श्रील पुत्री चतुरा श्रील, जाति श्रील, आयु 50 वर्ष, निवासी कोलपुरा, तहसील-रावतभाटा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राजपू), ने ग्राम राजपुरा, पं.ह. राजपुरा, तहसील-रावतभाटा स्थित खेतदारों की आराजी नम्बर 243 रकबा 1.62 हे०. खाता संख्या 38 की मत्परगही कराने जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त आराजी प्रार्थी के खेतदारी हक से दर्ज रेकार्ड हैं।
अतः प्रार्थिनी शीला श्रील पुत्री चतुरा श्रील की ग्राम राजपुरा पं.ह. राजपुरा स्थित आ०. नं. 243 रकबा 1.62 हे०. कि बिना किसी के कब्जे में दखलान्दाजी निम्न सेटलमेंट नुबरी अनुसार मत्परगही करने के आदेश दिये जाते हैं। मत्परगही खर्चा प्रार्थी वहन करेंगे। कमिश्नर शुल्क 500/- रुपय अक्षर मांच से रूपये प्रार्थी से वसूल हो।

III. 07. 11101
साकशाह ज्ञान
(७६ नमबरी)

आचार्य : रावत

विश्वविद्यालय : चित्तौड़गढ़

पालनार्थ रहशीलदार रावतभाटा को लिखा जावे कि पञ्चवारान को सूचित किया जाकर नियमानुसार उक्त आराधी की पाठ्यगद्दी को जावे एवं कोई विवाद हो तो पुनः पेश करे। पालना प्राप्त हो। पत्रावली फैसल क्रमांक होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

अदालत : उपखण्ड अति

विश्वविद्यालय